बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग ।

आदेश

आदेश संख्या–1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012–202 /पटना, दिनांक– 14/03/2016

विभागीय पत्रांक– 141/मध्य दिनांक 25.11.2011 द्वारा यह निदेश दिया गया है कि वैसे सम्वेदक, जिन्हें पूर्व से आवंटित कार्य में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 80% से कम की प्रगति की गई है, को संबंधित विभिन्न कार्य प्रमंडलों से गुण–दोष के आधार पर डिफॉल्टर घोषित करने की अनुशंसा प्राप्त कर संबंधित मोनिटरिंग अंचलों द्वारा समीक्षोपरान्त विभागीय अनुमोदन प्राप्त कर डिफॉल्टर घोषित करने संबंधी आदेश निबंधन के प्रभारी अभियन्ता प्रमुख के माध्यम से निर्गत किया जायेगा। डिफॉल्टर घोषित किये जाने के पश्चात सम्वेदक पर अगली निविदा में भाग लेने पर तब तक रोक लागू रहेगा, जबतक विभाग द्वारा पुनः उन्हें डिफॉल्टर सूची से विलोपित नहीं कर दिया जाता है ।

2. विभिन्न समीक्षाओं के क्रम में यह पाया गया है कि डिफॉल्टर घोषित किये गये सम्वेदक को अगली निविदा में भाग लिये जाने से वंचित किया जाना एक दंड के स्वरूप है परन्तु सम्वेदक को अगली निविदा में भाग लेने से अयोग्य घोषित किये जाने के आदेश पर समीक्षा का प्रावधान नहीं है, जो Natural Justice के विपरीत है ।

3. उक्त परिप्रेक्ष्य मे सम्यक विचारोपरान्त सम्वेदकों को अगली निविदा में भाग लेने से अयोग्य घोषित किये जाने की प्रक्रिया एवं निर्गत आदेश की समीक्षा हेतु निम्नवत प्रावधान किया जाता है:–

(i) कार्यपालक अभियन्ता गुण–दोष के आधार पर संबंधित सम्वेदक को आगे की निविदाओं में भाग लेने से अयोग्य घोषित करने यानि डिफॉल्टर घोषित करने हेतु अभियंता प्रमुख (दक्षिण) को अनुशंसा प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगें। प्राप्त अनुशंसा प्रतिवेदन के आलोक में अभियंता प्रमुख(दक्षिण) द्वारा अपने अधीनस्थ निबंधन प्रभाग की संचिका के माध्यम से ShowCause पूछा जायेगा। ShowCause में उत्तर प्राप्त होने की निर्धारित तिथि एक सप्ताह दी जायेगी। प्राप्त ShowCause के उत्तर अथवा एक सप्ताह में उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अभियंता प्रमुख (दक्षिण) संबंधित मोनिटरिंग अंचल के माध्यम से गुण–दोष के आधार पर समीक्षोपरांत एक सप्ताह के अन्दर आदेश पारित करेंगे।

(ii) उक्त निर्गत आदेश की प्रति अभियंता प्रमुख (दक्षिण) द्वारा अपने अधीनस्थ निबंधन प्रभाग के माध्यम से निर्गत की तिथि को ही सभी संबंधित को प्रेषित किया जायेगा एवं विभागीय बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु अधीक्षण अभियन्ता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1 को दिया जायेगा। अभियंता प्रमुख (दक्षिण) द्वारा अपने अधीनस्थ निबंधन प्रभाग के माध्यम से डिफॉल्टर घोषित संवेदकों की सूची तैयार कर अन्य कार्य विभागों को उपलब्ध कराया जायेगा और इसे विभागीय बेवसाईट पर प्रकाशित कराने की कार्रवाई किया जायेगा।

(iii) उक्त आदेश के विरूद्ध संबंधित सम्वेदक द्वारा प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना के समक्ष साक्ष्यों के साथ आदेश निर्गत होने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर Revision Petition दायर किया जा सकता है ।

(iv) प्राप्त Revision Petition एवं अभियंता प्रमुख (दक्षिण) द्वारा निर्गत डिफॉल्टर संबंधी आदेश के गुण–दोष की विवेचना कर प्रधान सचिव/ सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना निर्णय कर सम्यक आदेश पारित कर सकेंगे ।

4. उक्त के संबंध में पूर्व निर्गत विभागीय पत्रांक– 141/मध्य दिनांक 25.11.2011को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

5. उक्त प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

4.3.16
(योगेश्वरधारी सिंह)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

ज्ञापांक–1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012– 202 /पटना, दिनांक– 14/03/2016

प्रतिलिपि अभियंता प्रमुख (दक्षिण)/ अभियंता प्रमुख (उत्तर)/ अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/ विशेष कार्य पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग/ संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)/ संयुक्त सचिव (प्रबंधन)/ सभी मुख्य अभियंता, (यॉत्रिक सहित) जल संसाधन, बिहार/ निदेशक, वाल्मी/संयुक्त निदेशक, एफ0एम0आई0एस0सी0/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2/3/4 एवं अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं योजना मोनिटरिंग अंचल/अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल/ उप सचिव, काडा/आई0टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

K Singh 14.3.16
(योगेश्वरधारी सिंह)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

ज्ञापांक–1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012– 202 /पटना, दिनांक– 14/03/2016

प्रतिलिपि माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के निजी सहायक को सूचनार्थ समर्पित।

K Singh 14.3.16
(योगेश्वरधारी सिंह)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)